न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 206 सन 2022

अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र निकुराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवीलाल पुत्र निकुराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. विमला पुत्री निकुराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. दलीपसिह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
3. भूपसिह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
4. शंकरलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
5. मुकेश पुत्र निहालसिह जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
6. राकेश पुत्र निहालसिह जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
7. लाजवन्ती पत्नी निहालसिह जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/4/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 356/354 की कुल 6.0330हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 1/16 हिस्सा , मृतक निकुराम पुत्र हरिराम 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक 1/18 हिस्सा भूमि सयुक्त तौर से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हेतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्र पुत्रीया मृतक निहालसिह के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं मृतक निकुराम के नाम विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादीगण के पिता निकुराम पुत्र हेतराम के देहान्त होने के कारण निकुराम पुत्र हेतराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 है जो निकुराम पुत्र हेतराम के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है अर्थात निकुराम के नाम दर्ज भूमि के वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहने है एवं निकुराम पुत्र हेतराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार` राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक निकुराम के नाम दर्ज भूमि वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित

Scanned with CamScanner

आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज पूर्व में उनके पूर्वज हेतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 एव मृतक निकुराम के नाम से दर्ज हुई है निकुराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 है जो निकुराम के नाम से दर्ज भूमि का अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण की बहन है ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका हे इसलिये वाद भूमि वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 356/354 की कुल 6.0330हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 1/16 हिस्सा , मृतक निकुराम पुत्र हरिराम 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक 1/18 हिस्सा भूमि सयुक्त तौर से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हेतराम के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर उनके पुत्र पुत्रीया मृतक निहालसिह के वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 एवं मृतक निकुराम के नाम विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है।

वादीगण के पिता निकुराम पुत्र हेतराम के देहान्त होने के कारण निकुराम पुत्र हेतराम के जायज वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 है जो निकुराम पुत्र हेतराम के नाम दर्ज भूमि को विरास्तन से पाने के अधिकारी है अर्थात निकुराम के नाम दर्ज भूमि के वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 के हक हिस्सा की भूमि है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहने है एवं निकुराम पुत्र हेतराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बटवारा के अनुसार` राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 356/354 की कुल 6.0330हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 प्रत्येक 1/16 हिस्सा , मृतक निकुराम पुत्र हरिराम 1/6 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 प्रत्येक 1/18 हिस्सा भूमि सयुक्त तौर से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

Scanned with CamScanner

वादीगण का कथन है वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज हेतराम के नाम से दंर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरारतन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 एव मृतक निकुराम के नाम से दर्ज हुई निकुराम पुत्र हेतराम वादीगण का पिता है निकुराम के जायज वारिसान वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 है जो निकुराम के नाम दर्ज भूमि को अपने हक हिस्सा के अनुसार पाने के अधिकारी है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादीगण का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादीगण के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 356/354 की कुल 6.0330हैक भूमि में वादीगण के पिता निकुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 3/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सयुक्त तौर से 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 सयुक्त तौर से 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। बैक रहन यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. राजकुमार पुत्र निकुराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. देवीलाल पुत्र निकुराम जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।

वादीगण

बनाम

1. विमला पुत्री निकुराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. दलीपसिह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
3. भूपसिह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
4. शंकरलाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
5. मुकेश पुत्र निहालसिह जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
6. राकेश पुत्र निहालसिह जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
7. लाजवन्ती पत्नी निहालसिह जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 206 सन 2022 निर्णय दिनांक– 12/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा दलपतपुरा के खाता संख्या 356/354 की कुल 6.0330हैक्ट भूमि में वादीगण के पिता निकुराम का नाम कलमजन किया जाकर वादी संख्या 1 अकेला 3/8 हिस्सा, वादी संख्या 2 अकेला 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 सयुक्त तौर से 3/8 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 5 ता 7 सयुक्त तौर से 1/8 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे बैक रहन यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner